प्रेस विज्ञप्ति
27/8/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस के रूप में लगभग 5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियां 4.45 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि और फ्लैट के रूप में हैं, जो नेक्कैंटी नागराज, चंद्र मोहन, गोलापल्ली किशोर रेड्डी, एताकेरी सत्यनारायण की हैं, और चल संपत्ति फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में बैंक खातों के रूप में लगभग 50 लाख रुपये की है।

ईडी ने दिनांकः 26.05.2024 को केएमवीएसटीडीसीएल कर्मचारी श्री चंद्रशेखर की दुखद आत्महत्या के बाद कर्नाटक पुलिस और सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी व्यक्तियों ने केएमवीएसटीडीसीएल के खाते से अवैध रूप से धन हस्तांतरित किया और मूल्यवान प्रतिभूतियों और दस्तावेजों में जालसाजी करके निगम को 89.63 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि ठगने और धोखा देने के इरादे से धन का दुरुपयोग किया।

ईडी की जाँच से पता चला है कि केएमवीएसटीडीसीएल के खाते को बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमजी रोड शाखा में धोखाधड़ी से खोले गए एक नए खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके बाद, अन्य खातों और राजकोष से धनराशि इस खाते में जमा कर दी गई। जमा की गई धनराशि में से, 89.63 करोड़ रुपये की राशि, बैंक के अध्यक्ष की मिलीभगत से, हैदराबाद स्थित फर्स्ट फाइनेंस क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में खोले गए 18 फर्जी बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी गई। फिर, इस स्थानांतरित धनराशि को फर्जी और शेल खातों के माध्यम से आरोपियों के बीच नकदी और सोना-चांदी के रूप में स्तरित करके वितरित कर दिया गया।

ईडी की आगे की जाँच में पता चला कि इस धन का एक बड़ा हिस्सा आम चुनावों में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा, इस घोटाले से प्राप्त राशि से एक लेम्बोर्गिनी सहित कई लग्ज़री गाड़ियाँ खरीदी गईं। इन तथ्यों की पुष्टि आवास प्रवेश प्रदाताओं, सराफा व्यापारियों, गिफ्ट कार्ड व्यापारियों और लग्ज़री कार डीलरों ने भी की।

इसके अलावा, निगम के खाते से धनराशि की हेराफेरी करके अभियुक्तों द्वारा अर्जित अपराध की आय का उपयोग उन्होंने निजी उद्देश्यों के लिए किया है। इसलिए, अभियुक्तों/संस्थाओं की अचल संपत्तियों और बैंक खातों में उपलब्ध 5 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को पीएओ संख्या 22/2025 के तहत कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जाँच जारी है।